

पत्र संख्या-चरित्र पंजिका-स्था-1/परिपत्र/ डी0पी0सी0 2024-25//

2155

परिपत्र/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

/ राज्य कर,

- कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश,  
(चरित्र पंजिका अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: ०१ / सितम्बर, 2024

1/0 0

समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

समस्त संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

समस्त उपायुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।


समस्त सहायक आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

समस्त राज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

संख्या संवर्ग के प्रत्येक स्तर के अधिकारी ।

ज्ञातव्य है कि अधिकारियों के लिए चरित्र पंजिका में प्रविष्टि का अंकित किया जाना बहुत महत्व रखता है।  
वार्षिक प्रविष्टियों के अपूर्ण / अप्राप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी को हानि की सम्भावना बनी रहती है।

समसंदर्भ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा अपना वार्षिक कार्यविवरण त्रुटिपूर्ण / अपूर्ण ऑनलाइन अपलोड किया गया है जिसके कारण उक्त प्रविष्टि उनके प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता से पूर्ण नहीं हो पा रही है। इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने ए0सी0आर0 ट्रेकिंग रिपोर्ट का अवलोकन कर यह सुनिश्चित कर ले कि आपकी सभी वार्षिक प्रविष्टियां (मुख्यतः विगत 10 वर्षों की) पूर्ण हैं तथा आप द्वारा अपना कार्यविवरण सही-सही ऑनलाइन अपलोड किया गया है। त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण कार्यविवरण अपलोड करने वाले अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही (पत्राचार अथवा ई-मेल) करना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि त्रुटिपूर्ण / अपूर्ण कार्यविवरण ऑनलाइन अपलोड करने की स्थिति में यदि प्रविष्टियां स्वीकर्ता अधिकारी से पूर्ण नहीं हो पाती है, तथा उसके कारण कोई सेवा सम्बन्धी लाभ (डी0पी0सी0, ए0सी0पी इत्यादि) प्रभावित होता है तो, उसका उत्तरदायित्व स्वयं अधिकारी का होगा।



(धनन्जय शुक्ला)

अपर आयुक्त, राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०प० संख्या एवं दिनांक : ।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ ।
2. अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण लखनऊ ।
3. अपर आयुक्त ग्रेड-1 / 2 (उच्च न्यायालय कार्य) प्रयागराज / लखनऊ ।
4. संयुक्त आयुक्त (उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, प्रयागराज / लखनऊ / गाजियाबाद ।
5. अपर निदेशक (प्रशिक्षण) राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ ।
6. संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को उक्त परिपत्र की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
7. कम्प्यूटर ऑपरेटर स्थापना राजपत्रित अनुभाग को ई०आई०एम०एस० पर अपलोड करने हेतु ।

(श्याम प्रसाद)

संयुक्त आयुक्त (स्थापना) राज्य कर,  
मुख्यालय, लखनऊ।